3.3 आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, किन्तु अलग–अलग लिफाफे में अगल–अलग पदों हेतु आवेदन किया जाना होगा। लिफाफे के ऊपर पदनाम पद क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। एक ही लिफाफे में एक से अधिक आवेदन होने पर उक्त आवेदन अमान्य माना जावेगा। आवेदन शुल्क आवेदित समस्त पदों में उच्च वेतन के अनुरूप एक बार ही देय होगा। उच्च वेतन वाले आवेदन में डी.डी. की मूल प्रति एवं अन्य आवेदनों में डी.डी. की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।

4. **चयन प्रक्रिया–**

4.1 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा–आपत्ति हेतु पात्र–अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन एवं समस्त प्रक्रिया से सबंधित सूचना विभागीय वेबसाईट **www.bemetara.gov.in** कार्यालयीन सूचना पटल एवं संक्षिप्त सूचना समाचार पत्र में पृथक से प्रकाशित किया जावेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

4.2 दावा आपत्ति किये जाने हेतु निश्चित तिथि निर्धारित किया जायेगा निर्धारित तिथि में अभ्यार्थि प्रकाशित सूची में अभ्यार्थियों से संबंधित (नाम, पता, जाति वर्ग शैक्षणिक योग्यता का अंक एवं अन्य) लिपिकीय त्रुटियों होने पर अभ्यार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने पर निराकरण किया जावेगा। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि उपरांत किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति किये जाने पर उक्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

4.3 प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा:–

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1.	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना

4.4 कौशल परीक्षा के समय निम्न मूल अभिलेखों/दस्तावेजो की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यार्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है –

1 10 वीं एवं 12 वीं की अंक सूची
2 स्नातक एवं स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची
3 संबंधित डिग्री
4 Appendix-I अनुसार Integrated Course उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र
5 संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
6 सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
7 मूल निवास प्रमाण पत्र
8 दिव्यांगता/निःशक्तता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
9 पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता एवं फोटो हो)
10 अनुभव प्रमाण पत्र– अनुभव प्रमाण पत्र केवल केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अंक दिये जाएंगे।
11 अनुभव प्रमाण पत्र (अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।)
12 अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
13 अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)

4.5 **कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु प्राविण्य सूची :–**

4.5.1 जिन पदों पर एक से अधिक शैक्षणिक योग्यता दर्शित है वहां दर्शित अनुक्रम में ही प्राथमिकता दी जाएगी। अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जावेगी–

अ) शैक्षणिक योग्यता– अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांको के प्रतिशत का 65%

ब) अनुभव – अधिकतम 15/10 अंक (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ में कार्यरत् अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 3 अंक) तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 2 अंक)

अनुभव प्रमाण पत्र केवल केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्द्ध शासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव होने पर प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अंक दिये जायेंगे। तथा वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य

Scanned with OKEN Scanner

अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में एस.डी.आर.एफ., डी. एम. एफ. एवं सी.एस. आर. अंतर्गत एक वर्ष में 06 माह तक कार्यानुभव रखने वाले अस्थायी कर्मचारियों अनुभव का अधिकतम 10 अंक प्रदान किया जायेगा।

स) कौशल परीक्षा— 20 अंकों का (पद के अनुरूप कौशल परीक्षा ली जावेगी।) 15 अंकों का कौशल/लिखित परीक्षा तथा 05 अंक का प्रेक्टिकल परीक्षा लिया जावेगा। कौशल/लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत तथा प्रेक्टिकल परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। कौशल/लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत तथा प्रेक्टिकल परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अर्जित नही होने पर उक्त अभ्यर्थी को अयोग्य माना जावेगा।

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव दोनों के योग के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी आमंत्रित किये जायेंगे।

4.5.2 अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित/पद अनुरूप हो) केवल केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अंक दिये जायेंगे।

4.5.3 अनुभव प्रमाण पत्र के पुष्टि हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निःशुल्क सेवा अनुभव प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुभव अंक प्रदान नही किया जावेगा तथा अनुभव प्रमाण में किसी भी प्रकार काटछाट एवं ओवर राईटिंग होने की स्थिति में उक्त अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया जावेगा।

4.5.4 अनुभव प्रमाण पत्र में कार्यालय लेटर हेड, जावक क्रमांक एवं दिनांक का होना आवश्यक है।

4.6 **<u>अंतिम चयन सूचीः—</u>** अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% अनुभव के अंक तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जावेगी।

4.7 **प्रतीक्षा सूचीः—**

उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक होगी अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो, रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इस प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। **<u>प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, अभ्यर्थियों को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।</u>**

भाग—ब

भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें:—

1. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे, अन्यथा आवेदन निरस्त किये जावेगें।
2. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व निर्धारित भर्ती प्रकिया पूर्ण करने उपरांत मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
3. लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान एवं अन्य जानकारी समय—समय पर कार्यालयीन नोटिस बोर्ड एवं जिले की वेबसाइट **<u>www.bemetara.gov.in</u>** में उपलब्ध करायी जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी।
4. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
5. अभ्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है केवल उन्ही दस्तावेज के संबंध में दावा आपत्ति मान्य किया जायेगा। अन्य नवीन अतिरिक्त/पूरक दस्तावेज अलग से स्वीकार नहीं किया जावेगा। दावा आपत्ति के अंतिम तिथि पश्चात् किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। दावा आपत्ति के आवेदन के साथ अभ्यर्थी को अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। पहचान पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में दावा अमान्य माना जावेगा।
6. संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय—समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

क्रमशः...

Scanned with OKEN Scanner